

प्रेषक,

एफओएनओ प्रधान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग।

लखनऊ: दिनांक: 29 जून, 2007

विषय :- कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल अलीगढ़ को सीओपीएसओई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीओपीएसओई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उओप्रमाध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उओप्रमाध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकोय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

Principal
Krishna International School
ALIGARH

FOR KRISHNA INTERNATIONAL SCHOOL

Principal
(Pravin Agarwal)

Principal
Krishna International School
ALIGARH

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जानेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय सम्पत्ति माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का काम सफलतापूर्वक करने जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पता चले कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की ढुंढ या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(एफएनओ प्रधान)
संयुक्त सचिव।

प्रोसंख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।
- 4- निरीक्षक, मांस्ल भारतीय विद्यालय ए०ए०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल अलीगढ़।
- 6- आर्ट्स बुक।

५ आत्मा से,
(एफएनओ प्रधान)
संयुक्त सचिव।

Principal
Krishna International School
ALIGARH

FOR KRISHNA INTERNATIONAL SCHOOL

(Pravin Agarwal)
Managing Director

Principal
ALIGARH